


# Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 ....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25.10.2017	<p>वादी अनुपस्थित। उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।</p> <p>प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा श्री एम.एल. मुद्गल अधिवक्ता।</p> <p>प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा श्री भूपेन्द्र कांकर अधिवक्ता।</p> <p>प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा श्री अखिलेश समाधिया अधि०।</p> <p>प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है।</p> <p>बार बार पुकार लगाई जाने के उपरांत भी वादी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ। वादी को साक्ष्य हेतु दिनांक 11.10.2017 एवं आज दिनांक 25.10.2017 को दो अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और वह प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। इसलिए वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुति का अभाव एवं उसकी अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद आदेश 17 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधान के अंतर्गत निरस्त किया जाता है।</p> <p>व्यय तालिका बनाई जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;">               पंकज शर्मा              तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2              गोहद जिला भिण्ड           </p>	